रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 528] नई दिल्ली, मंगलवार, अक्तूबर 14, 2014/आश्विन 22, 1936
No. 528] NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 14, 2014/ASVINA 22, 1936

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 14 अक्तूबर, 2014

सा.का.नि. 721(अ).—केंद्रीय सरकार, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश, 2000 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात् :—

1. (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) (संशोधन) आदेश, 2014 है।

(2) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा।

2. द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश, 2000 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त आदेश कहा गया है) के खंड (3) में,—

(i) उपखंड (1) में,—

(क) आरंभिक भाग में, "गृहस्थी" शब्द के स्थान पर, "व्यक्ति या कोई गृहस्थी" शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) मद (क) के परंतुक में, "गृहस्थी" शब्द के स्थान पर, "व्यक्ति या गृहस्थी" शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) उपखंड (1क) में, "व्यक्ति" शब्द के स्थान पर, "व्यक्ति या गृहस्थी" शब्द रखे जाएंगे ;

(iii) उपखंड (3) में, आरंभिक भाग के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(3) सरकारी तेल कंपनी का कोई वितरक, सिलेंडर में भरी हुई द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस का प्रदाय किसी व्यक्ति या गृहस्थी को तब तक नहीं करेगा, जब तक ऐसे गृहस्थी का व्यक्ति, जिसके नाम पर घरेलू कनेक्शन जारी किया गया है"।

[सं. पी-17011/3/2010-विपणन]

डॉ. नीरज मित्तल, संयुक्त सचिव